संख्या-7/2015/616/26-3-2015-10(14)/2007

प्रेषक

विजय प्रसाद त्रिपाठी,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में

निदेशक
समाज कल्याण
उ0प्र0 लखनऊ

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊ दिनांकः 25 मार्च 2015

विषयः- चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 में अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत आयोजनागत पक्ष की योजना आई0ए0एस0/पी0सी0एस0 मुख्य परीक्षा हेतु परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण के लिए अवशेष धनराशि की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-1140/26-3-2013-10(14)/2007 दिनांक 05.09.2014 के क्रम में आपके पत्र संख्या-1439/स0क0/विकास/कोचिंग- दिल्ली-अनु0जा0/2014-15, दिनांक 25-2-2015 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 का कार्यालय-ज्ञाप संख्या-बी-1-2457/दस-2014-231/2014, दि0 22 जुलाई, 2014, जो समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उ0प्र0 को भी पृष्ठांकित है, द्वारा चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 में वित्तीय स्वीकृतियां निर्गत किये जाने के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं, जिसके अधीन चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 में अनुदान संख्या-83 के आयोजनागत पक्ष की आई0ए0एस0/पी0सी0एस0 प्रारम्भिक परीक्षा उत्तीर्ण अनुसूचित जाति तथा अनु0जनजाति के छात्र/छात्राओं को दिल्ली स्थित उत्कृष्ट श्रेणी की कोचिंग संस्थाओं के माध्यम से मुख्य परीक्षा हेतु कोचिंग दिये जाने से संबंधित उक्त योजनान्तर्गत प्राविधानित धनराशि रू0 55.00 लाख के सापेक्ष अवशेष धनराशि रू0 27,50,000/- रूपये सत्ताइस लाख पचास हजार मात्र) को अवमुक्त कर निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) उक्त धनराशि का व्यय योजना के दिशा-निर्देशों/मार्गदर्शी सिद्धान्तों में उल्लिखित व्यवस्था के अन्तर्गत समस्त औपचारिकताओं/प्रक्रियाओं को पूर्ण कराकर किया जायेगा। योजनान्तर्गत चयनित कोचिंग संस्थाओं तथा लाभान्वित होने वाले अभ्यर्थियों के चयन हेतु निर्धारित प्रक्रिया पूर्ण कराकर धनराशि व्यय की जायेगी।

(2) उक्त स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष व्यय तभी किया जायेगा, जब यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि विगत वर्षो में शासन द्वारा अवमुक्त की गयी धनराशि पी0एल0ए0/डाकघर/डिपाजिट खातों आदि में नहीं जमा है और पूर्व में अवमुक्त सम्पूर्ण धनराशि व्यय कर उपयोग/उपभोग कर लिया गया है और आवंटित धनराशि के सापेक्ष पूर्व में अवमुक्त कोई धनराशि व्यय हेतु अवशेष नहीं पड़ी है।

(3) धनराशि का व्यय/उपयोग वित्तीय नियमों तथा समय-समय पर निर्गत आदेशों/निर्देशों एवं योजना में धनराशि व्यय किये जाने के लिए निर्धारित नियमावली/स्थायी आदेशों के अनुसार ही किया जायेगा। वित्त(आय-व्ययक)अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-बी-1- 2457/दस-2014-231/2014, दि0 22 जुलाई, 2014 में निहित निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(4) यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य योजना से स्वीकृत नहीं हुआ/हो रहा है तथा योजनाओं हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि को पी0एल0ए0/डिपाजिट खाते में जमा नहीं किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि के व्यय/उपयोग के सम्बन्ध में उपभोग प्रमाण-पत्र नियमानुसार महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद एवं शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(5) वित्तीय स्वीकृतियों के सापेक्ष व्यय की नियमित संवीक्षा अपने स्तर पर किये जाने की व्यवस्था करें तथा समीक्षा में यदि किसी मामले में सीमाधिक्य व्यय दृष्टिगोचर हो तो उसे तत्काल शासन के समाज कल्याण विभाग तथा संबंधित वित्त(व्यय नियंत्रण) अनुभाग के संज्ञान में लाया जाये इस संबंध में बी0एम0-13 में नियमित रूप से शासन को सूचना उपलब्ध कराई जाये तथा बजट मैनुअल में निर्धारित विभिन्न प्रपत्रों के माध्यम से इस संबंध में निर्धारित कैलेण्डर के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

(6) उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय/उपभोग उसी प्रयोजन के लिये किया जायेगा जिस प्रयोजन के लिये धनराशि स्वीकृत की गयी है। इससे इतर

व्यय/उपयोग वित्तीय अनियमितता माना जायेगा जिसके लिये आप स्वयं उत्तरदायी होंगे। पूर्व में निर्गत धनराशि एवं अवमुक्त की जा रही उक्त धनराशि का उपयोग प्रमाण पत्र नियमानुसार उपलब्ध कराया जायेगा।

2- उपर्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 के अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2225--अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गो का कल्याण-01-अनुसूचित जातियों का कल्याण-आयोजनागत-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-01-केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें-0118आई0ए0एस0/पी0सी0एस0 मुख्य परीक्षा हेतु परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण-20-सहायता अनुदान-सामान्य(गैर वेतन)-के नामे डाला जायेगा।

यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-3-445 दस-2015 दिनांक 20-3-2015 द्वारा प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

विजय प्रसाद त्रिपाठी
अनु सचिव

संख्या-7/2015/616(1)/26-3-2015--तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1.महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0,इलाहाबाद।
2.महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
3.कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4.वित्त(व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3/वित्त (आय-व्ययक) अनु0-1/2
5.राज्य योजना आयोग-1/2
6.निदेशक, एन0,आई0सी0, योजना भवन, लखनऊ।
7.सलाहकार, समाज कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन/गार्डफाइल।

आज्ञा से

विजय प्रसाद त्रिपाठी
अनु सचिव